ठग ने खाते को हैक कर उड़ाई रकम

जबलपुर. साइबर ठग ने खाते को हैक कर धोखे से अमेजॉन पे लेटर एकाउंट का मोबाइल नम्बर बंदल कर एकाउंट से 98,941 रूपये ट्रांसफर कर लिया. पुलिस ने बताया कि ललित गुप्ता निवासी ने लिखित शिकायत की कि उसका अमेजान एप में अमेजन पे लेटर का खाता था, जिसकी अधिकतम लिमिट 1 लाख थी. फ्रॉड व्यक्ति ने उसके खाते को हैक कर मोबाइल नम्बर बदल दिया था और अमेजन ने खाता अनधिकृत्त एक्टिविटी होने के चलते ससपेंड किया था किन्तु पुन: खाता उस फ्रॉड व्यक्ति ने एक्टिव कर लिया और उसके बाद अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके अमेजन अकाउंट से पे-लेटर का यूज कर रुपये ट्रांसफर लिए.

मंगलसूत्र के लिए आधी रात किया मर्डर

पति की बांहों में पत्नी ने तोड़ा दम

खंडवा, 22 सितंबर. मर्डर और संवेदनशील क्राइम में खंडवा शहर, जबलपुर को भी पीछे छोड़ रहा है. खंडवा से सटे गांव डिगरिस में एक युवक के को पेट में दर्द होने के कारण पत्नी आधी रात को अस्पताल ले जा रही थी.

बदमाशों ने जरा से मंगलसूत्र छीनने के चक्कर में पत्नी सविता को चाकू से गोद दिया. मौके पर ही पति के सामने तड़पते हुए पत्नी ने जान दे दी. पति को भी कुछ चाकू लगे हैं. स्थिति की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज राय और सीएसपी अभिनव बारंगे समेत पुलिस टीम बड़ी टॉर्च लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए . मौका देखकर कई तरह की जानकारियां एकत्रित कीं. गांव में भी सर्चिंग की जा रही है. लुटेरे किस तरह के थे, इस पर महिला के पति से भी पूछताछ की जा रही है. सवाल कई उठ रहे हैं. पदमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर ग्राम आबूद के पास देर रात बदमाशों ने पति-पत्नी के साथ मारपीट और छीना झपटी किया वारदात हुई. देर रात्रि को इलाज कराने डिगरिस गांव से दंपति बाइक से निकले थे, लेकिन इस दौरान दंपति के साथ बदमाशों ने रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम दिया है. पति के सामने ही पत्नी को चाकूओं से हमला कर हत्या की.

पटेल दंपति के साथ हुई वारदात

पुलिस ने ही गंभीर घायल पति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. ग्राम डिगरिस निवासी महेंद्र पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल के साथ यह वारदात हुई है. महेंद्र पटेल को रात में ही पेट में तेज दर्द हुआ था. इलाज कराने के लिए बाइक से खंडवा के निकले थे. गांव से करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर दूर रास्ते में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी. एसपी मनोज कुमार राय ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है.

विदिशा में माता दुर्गा की मूर्ति पर पथराव

भारी हंगामे के बाद आरोपी बच्चों के पिता से लिखवाया माफीनामा

विदिशा, 20 सितंबर. प्रतिपदा पर स्थापित करने के लिए देवी प्रतिमा लेकर मंडप की ओर जा रहे लोगों पर विशेष समुदाय के कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए. इससे कुछ लोगों के चोटें भी आईं और हंगामा हो गया. एक पत्थर प्रतिमा को भी लगा है. हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस और हिंदू उत्सव समिति के लोगों के समक्ष बच्चों के पिता ने लिखित माफीनामा दिया.

सोमवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिया जय काम्प्लेक्स के पास मां काली की प्रतिमा निकल रही थी. जैसे ही झांकी खाई रोड से बजरिया तरफ पहुंची, तभी कुएं के पास रहने वाले छह से आठ वर्ष तक के कुछ बच्चों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए. इसके बाद हंगामा हो गया. पुलिस ने कहा कि झांकी निकलने के दौरान कुछ लोगों को पत्थर लगने से मामूली चोटें आई हैं, बच्चों का विवाद था.

पिता से लिखवाया माफीनामा

प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि बच्चों का मामला था, शांत हो गया है. इधर सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति ने बताया कि बच्चों से गलती हो गई थी, उनके पिता ने गलती मानते हुए अपनी ओर से लिखित माफीनामा दिया है.

अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें

जेयू : दीक्षांत समारोह आयोजित,56 विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक

ग्वालियर 22 सितंबर. जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत में शामिल होना बहुत ही खुशी की बात है.

उन्होंने कहा कि अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और गुरुजनों को गौरवान्वित करता है. जीवाजी ने पांच गांवों को गोद लिया है जिसकी देखरेख विश्वविद्यालय करता है. डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की यह बहुत खुशी की बात है. आपकी शिक्षा तभी सार्थक है जब आप गरीब और वंचितों को साथ लेकर चलेंगे. मानवता एकाग्रता होगी तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. अति पैसा आ जाए तो छलकना नहीं विनम्रता बनाए रखना.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय विद्या भारती के उपाध्यक्ष अवनीश भटनागर ने कहा कि वास्तव में कहा जाए तो दीक्षांत अंत नहीं बल्कि जीवन का प्रारंभ है. आप यहीं से निकलकर समाज की सेवा का कार्य करेंगे. इस उपाधि के लिए अपने आपको प्रमाणित करने का समय आ गया है.

जीएसटी की दरों में कटौती से बढ़ेगा व्यापार . . .

ग्वालियर. सांसद भारत सिंह कुशवाह जीएसटी की दरों में हुई कटौती के बाद सोमवार को शहर के व्यापारियों से मिले. सराफा बाजार में व्यापारियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि देश को उन्नत और खुशहाल बनाने में व्यापारियों का अहम योगदान हैं. देश के व्यापार में इजाफा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है, जिससे उपभोक्ता को सस्ते में उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा,वहीं व्यापार एवं व्यवसाय में बढोत्तरी होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करके व्यापारी और आमजन दोनों को राहत दी है. उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि जीएसटी की घटी दरों का फायदा आमजन को दें. इस दौरान सराफा, बर्तन एवं कपड़ा व्यवसायियों ने सांसद कुशवाह का स्वागत सम्मान किया. सांसद कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के चार स्लैब को हटाकर सिर्फ दो स्लैब कर एक बड़ी राहत आमजन को दी है, जिससे बड़ा फायदा होगा. इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, कमल माखीजानी, दीपक सचेती, ओमप्रकाश जाजौरिया, संजय सिंघल, अजीत बरैया, दिनेश सिंघल,, पारस जैन, राजू पलैया, विनय जैन, विनय शर्मा, सतपाल जादौन, अमित बंसल,अंकित सांखला, विकास साहू, भरत दांतरे,राज भौंड, नरसिंह राटौर, राजकुमार सोनी प्रमुख रूप से मौजूद रहे.

भ्रामक जानकारी देने पर विभागीय कार्यवाही

नलजल का कार्य धीमा होने पर सांसद ने जताई नाराजगी

रीवा, 22 सितम्बर, उकलेक्ट्रेट में जिला समन्वय एवं विकास समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि सभी अधिकारी बैठक में तथ्यपूर्ण जानकारी दें.

गत बैठक की तुलना में शासन की योजनाओं में प्रगति का विवरण बैठक में प्रस्तुत करें. अधिकारी यदि भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी देने की कोशिश करेंगे तो उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी. गरीबों का उत्थान और जनकल्याण सरकार और प्रशासन की साझी जिम्मेदारी है. सभी अधिकारी इसका ठीक से निर्वहन करें. समूह नलजल योजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है. जल जीवन मिशन तथा पीएचई विभाग के अधिकारी दिसम्बर माह तक पानी की टंकियों का निर्माण कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें. एकल नलजल योजनाओं में भी पानी की आपूर्ति का सर्वे कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. समूह नलजल योजनाओं से पुरानी नलजल योजना की टंकियों को भी पानी दिया जाएगा. इसके लिए समन्वित प्रयास करें. संचालित नलजल योजनाओं का सत्यापन कराकर संबंधित विधायकगणों तथा जनपद अध्यक्षों को सूची प्रस्तुत करें. सांसद ने कहा अक्षय ऊर्जा के लिए सूर्यघर योजना अत्यंत लाभकारी है. इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें.

मुनाफे का झांसा देकर 25 लाख हड़पे, एफआईआर दर्ज

जबलपुर 22 सितंबर. त्रिमूर्ति कार्प साईस के संचालक एवं प्रोप्राईटर सुनील कुमार कुशवाहा ने षड्यंत्र रचकर व्यापार में मुनाफे का झांसा देते हुये 25 लाख लेकर हड़प लिए.

पुलिस ने बताया कि राजीव गांगरा निवासी नरसिंह बिल्डिंग कम्पाउंड, रानीताल चौक, पं. भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड, ने लिखित शिकायत कर बताया कि उसकी बेटी भक्ति जैन एवं त्रिमूर्ति कार्प साईस के संचालक एवं प्रोप्राईटर सुनील कुमार कुशवाहा के मध्य एक अनुबंध, 22 दिसंबर 2023 को आपसी सहमति से व्यापार करने के लिये निष्पादित किया गया था. इकरारानामा अनुसार पुत्री भक्ति जैन के खाते से 25 लाख रूपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चैक के माध्यम से त्रिमूर्ति कार्प साईस के संचालक एवं प्रोप्राईटर सुनील को व्यापार में सहयोग करने प्रदान किये गये थे. शर्तों के अनुसार उसकी पुत्री एवं सुनील कुमार कुशवाहा के मध्य खाद-बीज का कय विकय दोनों की राजामंदी एवं एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के सामने, व्यापार किये जाने की शर्त एवं सुनील कुमार कुशवाहा की फर्म के माध्यम से क्रय-विक्रय किया जायेगा. इकरारनामा में यह भी तय हुआ कि व्यवसाय में होने वाले समस्त लाभ को सुनील कुमार कुशवाहा उसकी पुत्री भक्ति जैन को दो लाख पचास हजार से तीन लाख पचहत्तर हजार रूपए निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में अदा करेगा.

पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास में सॉलिसिटर जनरल, केंद्रीय मंत्रीसे की मुलाकात

नई दिल्ली 22 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधियों से भेंट की. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही की जा रही है.

मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में विस्तार से विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मध्य प्रदेश भवन में सांसद गण से भी मुलाक़ात की.

हर घर जल पहुंचाना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय राज्य जल शक्ति मन्त्री श्री राजभूषण चौधरी से भी भेंट की और मध्य प्रदेश के लिये पेयजल संबंधी योजनाओं के संबंध में चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी को बताया की जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में सभी जिलों में कार्य हो रहा है. मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों के लिए घर-घर तक जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दिशा में क्रियान्वित कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्र सरकार के अधिकारीगण से भी चर्चा की.

चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मैहर में नवरात्रि मेला प्रारंभ

मैहर,22 सितम्बर. मैहर जिले में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मां शारदेय नवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया है.

नवरात्रि के प्रथम दिन अत्यधिक संख्या में दर्शनार्थी मैहर पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच दर्शनार्थियों ने सुगमता से मां शारदा के दर्शन किये. मैहर में नवदिवसीय नवरात्रि मेला मां शारदा देवी मंदिर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर दशहरा पर्व तक रहेगा. मेले में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आने वाले लाखों की संख्या में श्रृद्धालु और दर्शनार्थी की संभावना के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रानी बाटड ने विभिन्न स्थानों पर 12 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तैनात किये है. इसके अनुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य स्थल पर सहयोगी कर्मचारी के साथ निर्धारित पाली में तैनात रहेंगे. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार मंदिर प्रांगण ऊपर प्रात: 3 बजे से नायब तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी एवं पटवारी प्रभात कुमार तिवारी, रात्रि पट बंद होने तक नायब तहसीलदार प्रेमलाल चौधरी एवं पटवारी सत्यसागर पाण्डेय को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है. इसी प्रकार रोपवे कन्ट्रोल रूम में प्रात: 6 बजे से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामनगर डॉ. आरती सिंह एवं पटवारी लालमन साकेत, पट बंद

जीएसटी बचत उत्सव - व्यापारियों और जनता में दिखा उत्साह

मंदसौर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जिले में व्यापारी और आमजन में उत्साह का माहौल है. इसी क्रम में रविवार को सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक सिसौदिया और नपा अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर सहित भाजपा पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया. प्रतिनिधियों ने व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद करते हुए कहा कि नई दरों से व्यापार में सहूलियत मिलेगी और जनता

विधायक तिवारी दिग्विजय पर आरोपों के लिए माफी मांगें

ग्वालियर 22 सितंबर. कांग्रेस नेता जितेन्द्र सिंह भदौरिया ने भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर उनके द्वारा दिया बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.

दिग्विजय सिंह अपना बड़प्पन दिखाते हुए खुद कह चुके हैं कि वह श्रीनिवास तिवारी के परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं व सुंदरलाल तिवारी उनके राजनीतिक मार्गदर्शक थे. भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक बड़े नेता होने का परिचय देते हुए ठीक ही कहा है रिश्तो की मर्यादा को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीजें नहीं बोलूंगा. जितेन्द्र भदौरिया ने कांग्रेस में श्रीनिवास तिवारी की उपेक्षा होने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए याद दिलाया कि श्रीनिवास तिवारी 1972 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे. अगले ही वर्ष 1973 में समाजवादियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए. इसके बाद कांग्रेस ने उनको वहीं से टिकट दिया, जहां से वे विधायक थे.

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित

सिंगरौली 22 सितम्बर. कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई. प्राप्त प्रकरणों के निराकरण एवं भुगतान के लिए लंबित प्रकरणो के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणो का समय पर पैरवी किया जाकर निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे तथा भुगतान के लिए जो लंबित प्रकरण है, उनका भी समय पर निराकरण कर राहत राशि प्रदान करे. कलेक्टर ने पूर्व बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के क्रियान्वन की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि समस्त थाने में जो भी प्रकरण लंबित है उन्हे तैयार कर सहायक आयुक्त जन जाति कार्य विभाग सिंगरौली को उपलब्ध कराये. कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि विवेचना में लंबित प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करे, यदि कोई प्रकरण जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित है तो इस संबंध में तत्काल सूचित करे, ताकि जाति प्रमाण पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से नियमानुसार जारी कराया जा सके. इसी प्रकार यदि किसी हितग्राही का बैंक खाता नही खुला है तो खाता खोलवाने की कार्यवाही की जाये, ताकि राहत राशि समय सीमा में पिड़ित आश्रित को वितरित हो सके. वही न्यायालयों में प्रकरण की स्थिति के संबंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर समय पर पैरवी कर प्रकरणों का निराकरण करने को कहा.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव- 122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री जीतेन्द्र जामदिया श्रीमती रेखा जामदिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 840709)	12-6-2023 रु. 2663392/- (रु. छब्बीस लाख तिरेसठ हजार तीन सौ बानवे मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह सभी हिस्सा जिसमें शामिल हैं-मकान संख्या 56, भूमि क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, कालीन क्षेत्रफल 990 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट, सेक्टर, टाइप संख्या L-2, स्लाइस संख्या 2, स्कीम संख्या 78, अरण्य नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452010 में स्थित। (क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट)	24-5-2024 कुल बकाया राशि 8-9-2025 को रु./- 3676967.83 (रु. छत्तीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ सड़सठ और पैसा तिरासी मात्र)	रु. 43,26,000/- (रु. तिरतालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 432600/- (रु. चार लाख बत्तीस हजार छह सौ मात्र)
श्री ललित चौरसिया चौरसिया रेडीमेड गारमेंट्स श्रीमती शैफाली ललित चौरसिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 811546, 920881)	17-1-2024 रु. 655625/- (रु. छह पचपन हजार छह सौ पच्चीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	फ्लैट संख्या 110, प्रथम तल, आशुतोष अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 3, श्री रामकमल रेजीडेंसी, सर्वे संख्या 35/3/2 ग्राम नेनोद, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 453112 संपत्ति का वह समस्त भाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- अतिनिर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल- 351.00, 280.00	25-3-2025 कुल बकाया राशि 8-9-2025 को रु./- 843411.65 (रु. आठ लाख तिरतालीस हजार चार सौ ग्यारह और पैसा पैंसठ मात्र)	रु. 634000/- (रु. छह लाख चौंतीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 63400/- (रु. तिरसेठ हजार चार सौ मात्र)
श्री भगवान सिंह श्रीमती सावित्री (प्रॉस्पेक्ट नं. 862464)	31-7-2022 रु. 1023504/- (रु. दस लाख तेईस हजार पाच सौ चार मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	फ्लैट संख्या 517, पाँचवीं मंजिल, निर्मित क्षेत्रफल 404 वर्ग फुट, ब्लॉक जी, आयुष्मान रेजीडेंसी, ग्राम पांडा ब्लॉक, महू, इंदौर, इंदौर, 453441, मध्य प्रदेश, भारत, की संपत्ति का वह सभी हिस्सा.	28-5-2025 कुल बकाया राशि 8-9-2025 को रु. 1255804/- (रु. बारह लाख पचपन हजार आठ सौ चार मात्र)	रु. 877000/- (रु. आठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 87700/- (रु. सतासी हजार सात सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
6 अक्टूबर 2025 11.00-14.00 बजे	8 अक्टूबर 2025 के 5.00 बजे तक	10 अक्टूबर 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09 :30 बजे से 18 :00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें : care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 23 सितम्बर, 2025 — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

motilal oswal Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025.
ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com.
सीआईएन संख्या: U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित. एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित किया गया है. www.motilaloswalhf.com" पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 30-10-2025/सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिमा राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**लैन:** LXDEW00216-170041783 **शाखा:** देवास **उधारकर्ता:** विकास सुरेशचंद्र दुबे **सह-उधारकर्ता:** सुरेश माखनलाल चंद्रा	25-05-2021 के लिए रु .395164/- (रुपए तीन लाख पिंच्यानवे हजार एक सौ चौसठ मात्र)	मकान नंबर 90, वार्ड नंबर -11, जैन मंदिर रोड, ग्राम मक्सी, परगना, शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465106	**आरक्षित मूल्य:** रु .336283/- (रुपये तीन लाख छतीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) **अग्रिम जमा:** रु .33628/- (रुपये तैंतीस हजार छह सौ अट्ठाइस मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
2.	**लैन:** LXKHA00416-170045272 **शाखा:** खरगौन **उधारकर्ता:** प्रेम लाल राठौड़ **सह-उधारकर्ता:** अन्नपूर्णा राठौड़ **गारंटर:** सुयश राठौड़	22-02-2021 रु. 1601524/- (रु. सोलह लाख एक हज़ार पाँच सौ चौबीस मात्र)	प्लॉट वार्ड नंबर 01, शास्त्री वार्ड, सोनी कॉलोनी, पीएच नंबर 15, भीकनगांव, खरगोन, मध्य प्रदेश - 451331 पर स्थित है	**आरक्षित मूल्य:** रु .1491616/- (रुपए चौदह लाख इंक्यानवे हजार छह सौ सोलह मात्र) **अग्रिम जमा:** रु .149162/- (रुपये एक लाख उन्चास हजार एक सौ बांसठ मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
3.	**लैन:** LXPIT00117-180055342 **शाखा:** पीथमपुर **उधारकर्ता:** हैदर खान **सह-उधारकर्ता:** जुबेदा खान	11-05-2023 के लिए रुपए 270966/- (रुपये दो लाख सत्तर हज़ार नौ सौ छियासठ मात्र)	प्लॉट नंबर 15, गली नंबर 4, कोकनी बाखल रिजेंद्र मार्ग, धार, छत्रच्य धरम साला के अंदर, इंदौर, मध्य प्रदेश 454775	**आरक्षित मूल्य:** रु .228550/- (रुपए दो लाख अट्ठाइस हज़ार पांच सौ पचास मात्र) **अग्रिम जमा:** रु .22855/- (रुपए बाइस हज़ार आठ सौ पचपन मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
4.	**लैन:** LXPIT00117-180062164 **शाखा:** पीथमपुर **उधारकर्ता:** प्रमिला अखंड **सह-उधारकर्ता:** रोहित अखंड	09-05-2025 के लिए रुपए 239819/- (रुपये दो लाख उनचालीस हज़ार आठ सौ उन्नीस मात्र)	प्लॉट नंबर बी-12 भूमि क्र.सं. 193/2/2 199/2 कुल रकबा हेक्टर 0.259 कुल 0.96 ग्राम- खलखुर्द पीएच-03। तह. कसरावद जिला-खरगौन 451660 इंदौर मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य:** रु .276114/- (रुपए दो लाख छिहत्तर हजार एक सौ चौदह मात्र) **अग्रिम जमा:** रु. 27611/- (रुपए सत्ताइस हजार छह सौ ग्यारह मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
5.	**लैन:** LXUJJ00316-170047320 **शाखा:** उज्जैन **उधारकर्ता:** प्रेम नारायण शर्मा **सह-उधारकर्ता:** मधुबाला शर्मा	09-06-2025 के लिए रुपए 576047/- (रुपये पाँच लाख छिहत्तर हज़ार सैंतालीस मात्र)	भूमि क्रमांक 640/1 640/1/1 एवं 641/1/1 ग्यारसी नगर ग्राम भिटारी तहसील एवं जिला उज्जैन 0 0 456001 उज्जैन मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य:** रु .605274/- (रुपए छह लाख पाँच हज़ार दो सौ चौहत्तर मात्र) **अग्रिम जमा:** रु .60527/- (रुपए साठ हज़ार पाँच सौ सत्ताइस मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
6.	LAN: LXIND00317-180065560 **शाखा:** इंदौर **उधारकर्ता:** विष्णु बद्रीलाल चौहान **सह-उधारकर्ता:** लक्ष्मी विष्णु चौहान	25-05-2021 के लिए रु .779892/- (रुपये सात लाख उन्यासी हजार आठ सौ बानवे मात्र)	मकान नंबर 47, पी एच नंबर - 16, सर्वे नंबर 7/2/2, पटेल नगर, खजराना, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001	**आरक्षित मूल्य:** रुपए 893730/- (रुपए आठ लाख तिरानवे हज़ार सात सौ तीस मात्र) **अग्रिम जमा:** रु. 89373/- (रुपए नवासी हज़ार तीन सौ तिहत्तर मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025
7.	**लैन:** LXMOINDO5523-240674713 **शाखा:** इंदौर **उधारकर्ता:** पदम सिंह **सह-उधारकर्ता:** मंजू राठौर	15-05-2025 के लिए रु. 2943960/- (रुपये उन्तीस लाख तिरतालीस हजार नौ सौ साठ मात्र)	फ्लैट नंबर 204, दूसरी मंजिल, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार चौराहा, वार्ड नंबर 69 नरसिंह चौराहे के पास इंदौर मध्य प्रदेश-452002	**आरक्षित मूल्य:** रु .3035646/- (रुपए तीस लाख पैंतीस हजार छह सौ छियालीस मात्र) **अग्रिम जमा: रु .303565/-** (रु. तीन लाख तीन हजार पांच सौ पैंसट मात्र) **अग्रिम जमा की अंतिम तिथि:** 29-10-2025

नियम एवं शर्तें:- 1. नीलामी बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी. बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी एवं सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल- https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं. इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और **देवराव पडलक-8108227415, मनीष कुमार ओमप्रकाश यादव 7045567028, गिर्राज सिंह यादव-9137527516, रवींद्र कुमार सोनी - 8976776758, भूपेन्द्र खिची - 9372704781, रोहित सिंह चौहान - 9575511158** से संपर्क कर सकते हैं. विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं- +91 83709 69696, ई-मेल आईडी- contact@ auctionbazaar.com.

एसडी/-

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 23.09.2025

अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.

प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)